फर्द अहकाम

हनुमान बनाम गोपाल वगै0

...स संख्या: 60/2022

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
...9.10.2024	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित। बहस उभयपक्षकारान की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। दौराने बहस अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। बहस उपस्थित उभयपक्षकारान अधिवक्ता पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपुर्णिय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है। अतः प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा राज0 काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.04 11:59:10 IST
Reason: SelfAttested